निर्यात आयों के संबंध में लक्ष्य सातवीं पंचवर्षीय योजना तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित नहीं किए गए है क्योंकि ये आय किसी विशेष वर्ष के दौरान मूल्य प्राप्ति की अधीन होगी । प्रति इंकाई प्राप्ति मूल्य समय-समय पर परिवर्तित होता रहता है जो मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है । अतः सातवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में अर्जित की जाने वाली विदेशी मुद्रा का अनुमान विश्वसनीयता से नहीं लगाया जा सकता है ।

कृषि पदार्थों का निर्यात

1151. **श्री राम नरेश यादव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि पदार्थों विशेषकर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा उत्पादित कृषि पदार्थों के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इस प्रयोजन के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को पर्याप्त प्रोत्साहन देने अथवा इसके विकल्प में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भागीदारी को बढ़ावा देने का विचार रखती है ?

वाणिज्य संराज्य में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) वर्ष 1992-93 के लिए कृषि वस्तुओं के लिए 5747 करोड़ रु० मूल्य का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इसमें प्रसंस्कृत फलों एवं रसों और अन्य प्रसंस्कृत खाद्यों के लिए 426 करोड रु० मूल्य का लक्ष्य शामिल है ।

(ख) और (ग) सरकार ने निर्यात नीति के वातावरण में सुधार लाने के लिए पहले ही अनेक उपाय किए है । इन उपायों को नई आयात-निर्यात नीति द्वारा द्वारा और आगे सुदृढ़ किया गया है । यह नीति पांच वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 1992 से लागू हो गई है ।

निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि वस्तुओं के निर्यातकों को प्रोत्साहित करने हेतु किए गए किए जाने वाले प्रस्तावित खासघ्खास उपाय इस प्रकार है :-

(क) **अल्पावधि उपाय** : बाजार-विकास, उत्पाद संवधन, क्वालिटी उन्नयन, पैकेजिंग सुधार, प्रतियोगी कीमतें निधारित करना, बाजार आसूचना बुनियादी सुविधाओं के विकास, बाधाए दूर करने और क्रियाविधि के सरलीकरण की योजनाएं ।

(ख) दीर्घावधि उपाय : उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना, नए-नए बाजारों में प्रवेश करना, उत्पाद विकास, निर्यात अभिमुख प्रसंस्करण उद्योगो का संवधन, भारतीय खाद्य उत्पादों की विश्वसनीयता और छवि में सुधार हालांकि सरकार कृषि वस्तुओं का निर्यात संवर्धन करना चाहती है लेकिन हमारी नीति यह है कि इस कार्य को इस ढंग से किया जाए कि जनता के उपयोग की मदों की घरेलू उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े । जहां तक निर्यात संबंधी प्रोत्साहनों की बात है, यह सभी निर्यातकों को उपलब्ध कराए जाते हैं, इनमें गैर-सरकारी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भी शामिल हैं ।

Import of Bulk Drugs

1152. SHRI MOHINDER SINGH LATHER: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the details of bulk drugs imported by various firms having loan licence under actual user condition during each of the last three years;

(b) whether Government have taken steps for post import checks of such imports;

(c) if so, what are the details thereof; and

(d) if not, what are the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI SALMAN KHURSHEED): (a) Firm-wise/licence-wise statistics of imports are not maintained. In terms of the Export and Import Policy for 1992—97, import of all drugs other than those covered by the Negative List are allowed for import against specific licences and subject to conditions laid down.

(b) to (d) Adequate provisions are available in the Foreign Trade (Development and Regulation) Ordinance, 1992 and the Export and Import Policy to ensure proper utilisation of material imported against specific licences.

Recruitment process in Departments of Posts and Telecom

1153. SHRI ANAND PRAKASH GAUTAM: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that recruitment process is initiated directly by Department of Posts and Department of Telecom for Central Secretariat posts held by respective Departments;

(b) if so, the number of such posts in both Department, Cadre/Category-wise and the working strength therein as on the 30th June, 1992;

(c) whether back log vacancies of SC/ST in each cadre/category of posts mentioned in (a) above, have been filled up during IIIrd special Recruitment drive;

(d) if so, the number of vacancies filled up in each category during the period from January, 1991 to June, 1992;

(e) if not, the reasons therefor; and

(f) the number of backlog vacancies in these cadres/categories lying vacant as on the 30th June, 1992?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) No, Sir. the Department of Posts & Telecommunications do not initiate the process of regular recruitment for posts of the Central Secretariat Service.

(b) to (f) As per Statement attached. (*See below*).

Statement

The number of sanctioned posts and the actual strength (including ad hoc promotions) in these two Departments as on 30th June, 1992 are indicated in the Table below:

Category	No. of sanctioned posts	Actual strength as on 30-6-92 (*ad hoc* promotions and the number of S. C. candidates included in such promotion's are shown in the bracket)
Group 'A'	25	23(4)
Group 'B'	600	599(228:SC-31)
Group 'C'	681	599(51:SC-11)